प्रेस नोट

जनपदीय साइबर सेल **दिनांक:- 26-08-2023**

- साइबर सेल टीम व हापुड देहात पुलिस ने लोगों के रजिस्ट्री कोरियर आदि का डाटा धोखाधडी से प्राप्त कर लोगों को कॉल करके रजिस्ट्री डाक व कोरियर की डिलीवरी तकनीकी कारण से निरस्त होने पर उसे पुनः एक्टिवेट कराने के नाम पर यूपीआई का लिंक भेजकर धोखाधडी कर ठगी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के एक सदस्य को किया गिरफ्तार।
- जिसके कब्जे से एक मोबाइल फोन, 06 डेबिट कार्ड, 10500 रुपये नकदी व एक फर्जी आधार कार्ड बरामद।
- गिरफ्तार अभियुक्त के 02 अन्य साथियों को दिनांक 12.07.2023 को जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जिसके सम्बन्ध में कोतवाली सीतापुर पर मु0अ0सं0 392/23 धारा 420 भादवि व 66डी आई0टी0 एक्ट पंजीकृत है जिसमें यह वांछित भी चल रहा था।
- पकडे गये अभियुक्त के अलग–अलग बैकों के 04 खातों में विगत 03 माह में करीब 25 लाख रूपये की धनराधि का क्रेडिट होना पाया गया है जिसके सम्बन्ध में विवेचना की जा रही है।
- यह शातिर किस्म का साइबर अपराधी हैं जो अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर अब तक करीब 100 से अधिक लोगों के साथ ऐसी घटनाएं कारित कर लाखो़ रूपये की ट्रांजेक्शन कर आर्थिक लाभ कमा चुके हैं, गिरोह एनसीआर क्षेत्र के विभिन्न जनपदों/अन्य राज्यों में सक्रिय था।

कार्यवाही:–

हापुड़ पुलिस द्वारा जनपद में साइबर अपराध एवं अपराध करने वाले अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत जनपदीय साइबर सेल टीम व हापुड देहात पुलिस द्वारा लोगों के रजिस्ट्री कोरियर आदि का डाटा धोखाधडी से प्राप्त कर लोगों को कॉल करके रजिस्ट्री डाक व कोरियर की डिलीवरी तकनीकि कारण से निरस्त होने पर उसे पुनः एक्टिवेट कराने के नाम पर यूपीआई का लिंक भेजकर धोखाधडी से ठगी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के एक शातिर सदस्य को गिरफ्तार किया गया है।

जिसके कब्जे से एक मोबाइल, 06 डेबिट कार्ड, 10500 रुपये नकदी व एक फर्जी आधार कार्ड बरामद।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अपराध करने का तरीका:–

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं अपने अन्य साथियों (मोहित इस्लाम पुत्र नूर इस्लाम निवासी इन्द्रागांधी कैम्प तैमूर नगर नालापेड़ न्यू फ्रैंडस कॉलोनी नई दिल्ली व सोनू कुमार पुत्र अरुणराम निवासी कस्बा व थाना हाजीपुर जनपद वैशाली बिहार जिनको दिनांक 12.07.2023 को जनपद सीतापुर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है) के साथ मिलकर रजिस्ट्री कोरियर आदि का नाम व मोबाइल नम्बर का डाटा चुराकर लोगों को कॉल करके रजिस्ट्री डाक व कोरियर की डिलीवरी तकनीकी कारण से निरस्त होने पर उसे पुनः एक्टिवेट कराने के नाम पर यूपीआई का लिंक भेजकर यूपीआई को अपने मोबाइल में एक्टिवेट कर धोखाधडी से ट्रांसफर कर लेते हैं इसी प्रकार हमने हापुड के रहने वाले एक व्यक्ति के साथ उनके मोबाइल नम्बर पर कॉल करके उनको रिसीव होने वाली रजिस्ट्री डाक की डिलीवरी तकनीकी कारण से निरस्त होने पर उसे पुनः एक्टिवेट कराने के नाम पर यूपीआई का लिंक भेजकर यूपीआई को अपने मोबाइल में एक्टिवेट कर उसके खाते से करीब 64500 रुपये अपने फर्जी इंडियन बैंक के खाते में ट्रांसफर कर एटीएम से कैश निकाल कर अपने व्यक्तिगत एक्सिस बैंक व एचडीएफसी बैंक के खाते में कैश डिपोजिट कर लिये थे।

मैंने व मेरे साथियों ने मिलकर सीतापुर के रहने वाले एक व्यक्ति के साथ इसी प्रकार की घटना की थी इस सम्बन्ध में दिनांक 12.07.23 को मेरे दो साथियों मोहित इस्लाम व सोनू कुमार को थाना कोतवाली नगर जनपद सीतापुर की पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और जब से ही मैं जगह बदल–बदल कर छिपकर रह रहा था।

नोट:– *गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म साइबर क्राइम अपराधी है जिसके आपराधिक इतिहास के बारे में अन्य जनपदों/राज्यों से जानकारी की जा रही है।*

गिरफ्तारी का स्थान -

सोना पेट्रोल पम्प के पास गढ रोड हाईवे

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:–

1. साहिल राज उर्फ लकी पुत्र अमित कुमार सिंह निवासी श्री कृष्णापुरी बागमाली हाजीपुर थाना नगर हाजीपुर जनपद वैशाली बिहार।

बरामदगी का विवरण:–

1. एक मोबाइल फोन ONE PLUS NORD C2 LITE
2. 06 डेबिट कार्ड।
3. 10500 रुपये।
4. एक फर्जी आधार कार्ड।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. निरीक्षक श्री विनोद कुमार पाण्डेय प्रभारी साइबर सेल जनपद हापुड।
2. प्रभारी निरीक्षक श्री दिलीप सिंह बिस्ट थाना हापुड देहात जनपद हापुड।
3. उ0नि0 श्री विनीत मलिक साइबर सेल जनपद हापुड।
4. है0का0 जसवंत कुमार साइबर सेल जनपद हापुड।
5. है0का0 सुनील कुमार साइबर सेल जनपद हापुड।
6. है0का0 दिग्विजय सिंह साइबर सेल जनपद हापुड।
7. है0का0 साजुद्दीन खान साइबर सेल जनपद हापुड।
9. का0 नीरज कुमार साइबर सेल जनपद हापुड।